



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

संदर्भ सं1(8)/स्था/विविध/2016/पार्ट-1/

दिनांक 19.03.2026

परिपत्र

विषय: 1. असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के लिए 2026 के आम चुनावों की घोषणा के बाद, आदर्श आचारसंहिता को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

2. आचार संहिता का अनुप्रयोग - असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं के लिए आम चुनाव, 2026 और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-चुनाव।

अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 / 41 / 1 / 2025-कैब दिनांक 17.03.2026 जो निदेशक, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, के साथ पत्र संख्या 437 / 6 / 1 / आईएनएसटी / ईसीआई / एफयूएनटी / एमसीसी / 2026 / 251 दिनांक 15.03.2026 और पत्र संख्या 437 / 6 / 1 / आईएनएसटी / ईसीआई / एफयूएनटी / एमसीसी / 2026 / 252 दिनांक 15.03.2026 को कृपया अवलोकन और अनुपालन के लिए संलग्न करें।

प्र.बोर्ड

(पी. सी. बोरो)

सहायक सचिव

वितरण:

1	मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, कोलकाता (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	कृपया अनुपालन हेतु
2	कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी व कून्नूर	
3	उ.नि.चा.वि, सिलिगुडी	
4	परियोजना निदेशक, क्यूसीएल व डिटीआरडीसी	
5	तमिलनाडु, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में स्थित बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय।	
6	संपदा अधिकारी (प्रभारी)	
7	उपाध्यक्ष/वि.स.वमु.ले.अ./निचावि / सचिव	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8	आईटी कक्ष	
9	स्थापना शाखा	